जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कोडरमा।

आदेश

ग्रामीण विकास विभाग,झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक 4729, दिनांक–04.6.2007 के आलोक में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी कार्यक्रम के तहत ग्राम रोजगार सेवक के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्त ग्राम रोजगार सेवकों का पदस्थापन निम्नवत किया जाता है:–

क्रम	अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	पता	मुल कोटि	चयन कोटि	पदस्थापन प्रखण्ड
1	श्री मनीष कुमार	श्री जगदीश यादव	ग्राम–दुरोडीह, पोस्ट–डोमचाँच, जिला–कोडरमा।	पिछड़ा वर्ग	सामान्य	जयनगर
2	श्री जितेन्द्र कुमार यादव	श्री फुलांगी यादव	ग्राम– घरौंजा, प्रखण्ड–जयनगर, पोस्ट–परसाबाद, जिला– कोडरमा।	पिछड़ा वर्ग	सामान्य	जयनगर
3	श्री राहुल कुमार यादव	श्री गोखुल यादव	ग्राम– घरौंजा, प्रखण्ड–जयनगर, पोस्ट–परसाबाद, जिला– कोडरमा।	पिछड़ा वर्ग	सामान्य	जयनगर
4	चम्पा कुमारी	श्री जागेश्वर पंडित	वार्ड न0–11, बसुन्धरा पेट्रोल पम्प के पास, लखीबागी, पोस्ट– कोडरमा, जिला–कोडरमा।	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	सामान्य	कोडरमा
5	श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव	श्री लाखो महतो	ग्राम–खैरौन, पोस्ट–दशारोखुर्द, थाना–मरकच्चों, जिला– कोडरमा।	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	कोडरमा
6	श्री लखन लाल भगत	श्री उदेश्वर भगत	ग्राम + पोस्ट+ थाना–पोरियाहाट, जिला–गोड्डा	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	चंदवारा
7	श्री विरेन्द्र कुमार	श्री राजनाथ महतो	ग्राम–तेलियातु, पोस्ट–बरकाकाना, थाना–पतरातु, जिला– रामगढ़	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	कोडरमा
8	श्री सुनिल रविदास	श्री विदेशी रविदास	ग्राम– खगराडीह, पोस्ट–नईटांड, थाना–जयनगर, जिला– कोडरमा।	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	जयनगर
9	श्री शम्भु कुमार दास	श्री महादेव दास	ग्राम– बरसोतियाबाग, पोस्ट+थाना+जिला–कोडरमा।	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	कोडरमा

उपर्युक्त पदस्थापित सभी ग्राम रोजगार सेवक अपने संबंधित प्रखण्ड में पन्द्रह दिनों के अंदर योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अपने स्तर से उन्हे पंचायत में पदस्थापित करेंगे। पन्द्रह दिनों के अंदर योगदान नहीं करने पर पुनः उनके योगदान पर विचार नहीं किया जाएगा।

ग्राम रोजगार सेवकों को संविदा आधारित मानदेय 5200/–रु0 यात्रा भत्ता 750/–रु0 एवं मोबाईल भत्ता 100/–रु0 कुल 6050/––(छः हजार पच्चास) रु0 प्रतिमाह मानदेय एवं सरकार द्वारा अनुमान्य अन्य भत्ते का भुगतान प्रखण्ड में योगदान की तिथि से किया जायेगा।

संबंधित ग्राम रोजगार सेवकों की उपरिथिति विवरणी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा दी जायेगी। जिसके आधार पर प्रतिमाह मानदेय का भुगतान संबंधित प्रखण्ड के द्वारा मनरेगा के आकस्मिकता मद से किया जायेगा।

पंचायत अर्न्तगत अकुशल मजदूरों का निबंधन करने, उन्हे कार्य पर लगाने, मस्टर रॉल तैयार करने, मजदूरों का बचत खाता खुलवाने तथा समय पर मजदूरी भुगतान करने का दायित्व ग्राम रोजगार सेवकों पर होगा।

ग्राम सभा के द्वारा चयनित योजनाओं की स्थल जाँच पंचायत सेवक/ग्राम रोजगार सेवक संयुक्त रुप से करेंगें तथा प्रतिवेदन देंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी कार्यक्रम के तहत निर्गत मार्गदर्शिका में विहित प्रावधानों को लागू करने का कार्य भी ग्राम रोजगार सेवक करेंगें। सभी ग्राम रोजगार सेवक संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के नियंत्रण में कार्य करेंगे और पर्यवेक्षी पदाधिकारियों द्वारा दिये गये दिशा–निदेश का भी अनुपालन करेंगे।

यदि कोई कार्यरत कर्मी इस नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगें तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को कार्यरत कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत कर्मी की सेवा समाप्त की जा सकती है। परन्तु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर वैसे कार्यरत कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

ह0/–
जिला कार्यक्रम समन्वयक–
–सह–उप विकास आयुक्त,
कोडरमा।

ज्ञापांक..................../अभि0 दिनांक..............................

प्रतिलिपि– सभी संबंधित ग्राम रोजगार सेवकों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह0/–
जिला कार्यक्रम समन्वयक–
–सह–उप विकास आयुक्त,
कोडरमा।

ज्ञापांक..................../अभि0 दिनांक..............................

प्रतिलिपि– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कोडरमा/चंदवारा/जयनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
जिला कार्यक्रम समन्वयक–
–सह–उप विकास आयुक्त,
कोडरमा।

ज्ञापांक 1201 /अभि0 दिनांक 01/09/2017

प्रतिलिपि– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, कोडरमा को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश कोडरमा के NIC वेबसाईट पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करें।

जिला कार्यक्रम समन्वयक–
–सह–उप विकास आयुक्त,
कोडरमा।